

पत्र सं०-विधि-4(1)-मासिक/त्रैमासिक रिटर्न / 2014-15/ 162/1415014/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर  
(विधि-अनुभाग)

उत्तर प्रदेश

लखनऊः दिनांक: 19 मई, 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर  
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर ( कार्यपालक )  
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश


मुख्यालय द्वारा परिपत्र सं० विधि-4(1) परिपत्र पत्रावली भाग-2 ( 2009-10) / 1929 / 0910094 / वाणिज्य कर दिनांक 18 फरवरी , 2010 द्वारा 21 संवेदनशील वस्तुएं चिन्हित करते हुए इनके किसी वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त रु० एक करोड़ से अधिक होने की स्थिति में मासिक रिटर्न के प्रस्तुतीकरण के निर्देश निर्गत किए गए थे ।

इस प्रकार के तथ्य संज्ञान में आए हैं कि करदाताओं को मासिक/त्रैमासिक रिटर्न के प्रस्तुतीकरण में इस कारण से काफी भ्रम बना रहता है कि उनके द्वारा जिन वस्तुओं का व्यापार किया जा रहा है यदि उनमें अधिकांश वस्तुएं ऐसी है जो संवेदनशील वस्तुओं में समाहित नहीं हैं तथा कोई एक वस्तु, जिसका व्यापार काफी कम मात्रा में उन्हें करना है , तो उन्हें रिटर्न का प्रस्तुतीकरण कैसे करना होगा । इसी प्रकार यदि किसी व्यापारी द्वारा संवेदनशील वस्तु से भिन्न वस्तु का व्यापार किया जाता है और अग्रेतर वह ऐसी वस्तु का व्यापार करना आरम्भ करता है जो संवेदनशील वस्तुओं में समाहित है , तब उसे भी यह भ्रम बना रहता है कि ऐसी स्थिति में उनको किस टैक्स पीरियड का रिटर्न प्रस्तुत करना होगा । यही स्थिति कमोवेश विभागीय अधिकारियों को भी रहती है । प्रत्येक व्यापारिक वस्तु के संबंध में विचारण तथा तदनुसार निर्णय में इस कारण भी कठिनाई होती है क्योंकि अनेक प्रकरणों में व्यापारियों द्वारा तो व्यापारिक वस्तु को बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया जाता है परन्तु इस संबंध में निर्णय के विलम्ब के कारण भी असमंजस की स्थिति बनी रहती है ।

अतः समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पूर्व में जारी परिपत्र सं० विधि-4(1) परिपत्र पत्रावली भाग-2 ( 2009-10) / 1929 / 0910094 / वाणिज्य कर दिनांक 18 फरवरी , 2010 द्वारा निर्गत निर्देशों को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए 30प्र० मूल्य संवर्धित कर नियमावली , 2008 के नियम 45 के उपनियम (1) के क्लाज (ग ) में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में यह निर्देश दिए जाते हैं कि ऐसे समस्त व्यापारी जिनका किसी कर निर्धारण वर्ष में सकल आवर्त , जैसा कि इस उपनियम में प्रदत्त स्पष्टीकरण में परिभाषित है , रु० एक करोड़ से अधिक है , उनको प्रत्येक कैलेंडर मास की नियमानुसार कर विवरणी देय कर के साथ दाखिल करनी होगी । इस क्लाज के प्रयोजनार्थ समस्त प्रकार की व्यापारिक वस्तुओं के संबंध उक्त दिशानिर्देश लागू होंगे ।

यह भी स्पष्ट करना है कि रु० एक करोड़ सकल वार्षिक आवर्त से कम सकल वार्षिक आवर्त वाले व्यापारी पूर्व की भांति ही त्रैमासिक विवरणी दाखिल करते रहेंगे ।

तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

  
( मृत्युंजय कुमार नारायण )  
कमिश्नर वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश

**५०५० सं० एवं दिनांक उक्त ।**

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) माननीय अध्यक्ष, ३०५० राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, ३०५० शासन, लखनऊ ।
- (2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (4) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ( दो प्रतियों में )
- (5) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, ३०५० ।
- (6) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, ३०५० ।
- (7) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, ३०५० मुख्यालय लखनऊ ।
- (8) एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०/ अपील), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (9) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि०अनु०शा० / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (10) समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क०नि० / वि०अनु०शा०/स०द०) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (11) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
- (12) महालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ ।
- (13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (14) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
- (15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए०जी०आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (17) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा ।
- (18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिश्नर/ डिप्टी कमि०/ असिस्टेंट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य/ गाजियाबाद ।
- (19) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/ डिप्टी कमि०/ असि०/ कमि० (३० न्या० कार्य०) लखनऊ/ इलाहाबाद।
- (20) मैनुअल अनुभाग/ सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5-5 तथा 10 प्रतियों में ।
- (21) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियों ।
- (22) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
- (23) अध्यक्ष, ३०५० प्रदेश टैक्स एडवोकेट वेल फेयर एसो० 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ ।
- (24) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ ।
- (25) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) ३०५० ।
- (26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, ३०५० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
- (27) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, ३०५० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ ।
- (28) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
- (29) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
- (30) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
- (31) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
- (32) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
- (33) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड० ऐशबाग रोड, लखनऊ ।
- (34) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
- (35) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड० निराला नगर, लखनऊ ।
- (36) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य०) के माध्यम से ।
- (37) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इन्जीनियर्स काम्प्लेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
- (38) श्री नरेन्द्र कु० गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद ।
- (39) श्री शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि ३०५० टैक्स बार एसो० जमुना बिहार, एस०एस० कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
- (40) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ३०५० शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
- (41) प्रो० डा० सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी, बनारस ।

- (42) प्रो० श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।  
(43) डा० छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।  
(44) श्री बी०एन०राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू०पी०टैक्स बार एसो० 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी ।  
(45) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1, कुँजगली, चौक, वाराणसी ।  
(46) श्री पी०एस०जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा ।  
(47) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) 30 प्रो ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि०), पुलवाल मण्डी सहारनपुर ।  
(48) श्री आर०डी०गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।  
(49) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा०ज०पा०निवासी 60 चाहचन्द इलाहाबाद ।  
(50) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल 30 प्रो प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर ।  
(51) इन्डियन इण्डोएसो०, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु०नगर ।  
(52) संयोजक, टैक्सेशियों ऐकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू०पी०, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ  
(53) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाउस, आगरा ।  
(54) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को०प० स्टेट लि० 51-बी उद्योग नगर कानपुर।  
(55) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू०पी०रोलर फ्लोर मिलर्स एसो० 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ ।  
(56) श्री दिनेश अरोरा 30 प्रो वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो० 51/58-ए शककर पट्टी कानपुर ।  
(57) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष 30 प्रो टेन्ट व्यापार एसो० 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।  
(58) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी०-बी-29, विधायकनिवास, दारुल सफा, लखनऊ ।  
(59) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी व्यापारी सभा, 30 प्रो, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।  
(60) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष 30 प्रो कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, 30 बी०एन०रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।  
(61) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।  
(62) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।  
(63) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस ।  
(64) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।  
(65) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (30 प्रो)  
(66) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, 30 प्रो उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।  
(67) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न०-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।  
(68) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।  
(69) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशिंग, आर०डी०सी०-51, राजनगर, गाजियाबाद ।  
(70) श्री बी०एन०शुक्ला, अध्यक्ष, यू०पी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।  
(71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू०पी०) ।  
(72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।  
(73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू०पी० पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।  
(74) अध्यक्ष, राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)  
(75) अध्यक्ष, यू०पी०मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (रजि०) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर ।  
(76) अध्यक्ष/सचिव, वेस्टर्न यू०पी०चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बाम्बे बाजार, मेरठ ।  
(77) अध्यक्ष / महासचिव महानगर टैक्स बार एसोसिएशन (रजि०) गाजियाबाद  
(78) प्रेसिडेन्ट/सचिव, यू०पी०शुगर मिल्स एसोसिएशन, 403, चिल्टेन हाउस, 16, स्टेशनरोड, लखनऊ ।  
(79) अध्यक्ष / महासचिव आल इण्डिया फेडरेशन आफ टैक्स प्रैक्टीशनर्स, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद  
(80) कन्वीनर, टैक्स फोरम, रजत विहार, सेक्टर 62, नोएडा ।

(योगेन्द्र कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ